कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०,पोखरी (चमोली)

Phone/Fax No. :-01372-222156 **Email:-eepwdpokhari@rediffmail.com**

पत्रांक 146 / 15सी0 दिनांक 25 / 01 / 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय– **जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में रौता–मालकोटी–सैरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.89 है0 वन भूमि का गैर वानकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक सं0 8बी॰ / यू॰सी॰पी॰ / 06 / 138 / 2020 / एफ॰सी॰ / 2363 दिनांक 25.02.2021।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषय वर्णित मोटर मार्ग हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी॰ / यू॰सी॰पी॰ / 06 / 138 / 2020 / एफ॰सी॰ / 2363 दिनांक 25.02.2021 के द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्वान्तिक स्वीकृति में भारत सरकार के द्वारा दी गई शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत प्रेषित है।

बिन्दु संख्या	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण। (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.78 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम–नौली, खसरा संख्या 204,205,208 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	वन विभाग के द्वारा आख्या दी जानी है।
	(ख) गैर वानकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष मे हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है, एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	म्यूटेशन कर दिया गया है। संलग्न–1
	(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	शर्त मान्य है।
4	प्रगतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य मे निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त शामिल किए जा सकते हैं।	शर्त मान्य है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रू0 1274555.00 मात्र की उत्तरांचल कैम्पा के खाते में जमा की गई है। **(चालान की छायाप्रति संलग्न)**

5	शुद्व वर्तमान मूल्य (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की WP(C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ. सी. (pt-2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ. सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 मे जारी दिशा निर्देशनुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.89 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	विभाग द्वारा एन॰पी॰वी॰ की धनराशि रू॰ 1241730.00 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रू0 1274555.00 कुल 2516285.00 मात्र आर॰टी॰जी॰एस॰ के माध्यम से UTTARANCHAL CAMPA के खाता सं0 150896143934348 में जमा कर दी गई है। संलग्न–2
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्व मूल्य अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। संलग्न–3
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम कर देगा। जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 51 Trees से अधिक नहीं होगी, एवं पेड़ राज्य वन विभाग के शर्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी ।	शर्त मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https//parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेंगे।	CAMPA के खाते में जमा कर दी गई है।
8	गाईडलाईन्स में दिए गए दिनानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	शर्त मान्य है।
9	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडो के अनुसार सड़के के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढायगा।	शर्त मान्य है।
11	संरक्षित क्षेत्रों/ वनक्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनीयमन साइनेज लगाए जायेंगे।	शर्त मान्य है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
13	केंन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	शर्त मान्य है।
14	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	शर्त मान्य है।
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
17	परियोजना कार्य के निश्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वनक्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।	शर्त मान्य है।
18	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है।

19	केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	शर्त मान्य है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लगंन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त मान्य है।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	शर्त मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगी कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा के नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजाजियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे का यथा रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपनें से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	शर्त मान्य है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/निय/न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू हो तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मदारी होगी।	शर्त मान्य है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https//parivesh-nic-in/) पर अपलोड़ की जायेगी।	अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https// parivesh-nic-in/) पर अपलोड़ कर दी जायेगी।

अतः उक्तानुसार भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण शर्तो का अनुपालन आख्या तैयार कर वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है।

संलग्नः– **(1) NPV/वृक्षारोपण धनराशि जमा चालान की प्रति।**

(2) सिविल भूमि नामान्तरण आदेश की प्रति।

(3) रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण प्रमाण पत्र।

(4) एफ॰आर॰ए॰ एवं मानचित्र।

(इं॰ संजय प्रसाद सिन्हा)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
पोखरी।

o/c

पत्रांक /15 सी॰ दिनांक / /2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष ''नियोजन–।।।' लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता स्तर –। लो0नि0वि0 पौड़ी।
4. जिलाधिकारी चमोली।
5. अधीक्षण अभियन्ता 7वॉ वृत्त लो0नि0वि0 गोपेश्वर।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
पोखरी।

o/c

क्रमांक सं0-1135
दिनांक --25/10/21---
फाइल नं0--15 सी0

आदेश –

जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में रौंता–मालकोटी–सैरा तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.890 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 3.780 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0–08बीं/यू0सी0पी0/06/138/2020/एफ0सी0/2363 दिनांक 25.02.2021 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उप महानिरीक्षक, वन(के0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0–08बीं/यू0सी0पी0/06/138/2020/एफ0सी0/2363 दिनांक 25.02.2021 की शर्त सं0–3(क) के अनुसार एवं उप जिलाधिकारी पोखरी की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में रौंता–मालकोटी–सैरा तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.890 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज् में ग्राम नौली रा0उ0नि0 क्षेत्र मसोली तहसील पोखरी की ख0खा0सं0–04 के खसरा सं0–204 रकबा 1.654 है0 भूमि मध्ये 1.304 है0, खसरा सं0–205 रकबा 1.564 है0 भूमि मध्ये 1.232 है0 एवं खसरा सं0–208 रकबा 1.564 है0 भूमि मध्ये 1.244 है0 अर्थात कुल 3.780 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–9(3)ड. बंजर भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173/XVIII (II)/2012–18(120) /2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(हिमांशु खुराना),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्याः 48 /छब्बीस–2 (2021–2022) गोपेश्वरः दिनांकः 01 अक्टूबर, 2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, पोखरी।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पोखरी।

छाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
पोखरी(चमोली)

जिलाधिकारी,
चमोली।

O/C

AE II

18/10/2021

पत्रांक –1923/15 सी0 दि0 –29/10/2021
श्री रजनीश सैनी, अधीन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Scanned with CamScanner

फांट (खेवट) खाता नंबर	मुन्तखिब (खतौनी) खाता की क्र० सं०	सह तौक विज का नाम, पिता या निवास-स्थान	मुद्दत काश्त या कब्जा	हाल खसरा नम्बर	क्षेत्रफल नाली मुट्ठी में	नाम तौक	[illegible] शामिल जोत	मालगुजारी अथवा लगान (जो सिरतान हो)	सेस	मालिकाना	थोकदारी या मालगुजारी	किस्म जमीन: तलांव	उपराव: अब्बल	उपराव: दोयम	इजरान	कटील	कुल रकबा	विस्तार: कानूनी	विस्तार: गैर कानूनी	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१
		जेरहद		१९१	८॥५	0.095														
				१९२	३१	0.065														
				१९४	४॥=	0.094														
				१९८	९३	0.260														
				१९९	८॥=	0.013														
				१९५	८६।-	0.926														
				१९२	२८॥=	0.594														
				१९६	२८।-	0.506														
				१९५	९२२	5.262														
				१९६	९२५	2500														
				१९७	९५.८	3000														
				[illegible]	५०	1000														
				१९९	५७१	1145														
				206	५०	1000														
			अतिक्रमित	201	२५	0.500														
				202	३५	0.700														
				203	50	1400														
				204	८२	1.640														
				205	९०	1.560														
				206	२५															
			प्रस्तावित	207	५०	1.000														
				208	७०	1560														
				[illegible]		1100														
				[illegible]	५१	1020														
				[illegible]	४२॥=	0.853														
				[illegible]	३९॥=	.238														
				[illegible]	[illegible]	1174														

आदेश

जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में गैंता-भाकोटी-सेरा मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.890 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये चिन्हित 3.780 है० सिविल सोयम वन भूमि को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतएव उपमहानिरीक्षक वन (के०) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं० -08 बी/यू०सी०पी०/06/138/2020/एफ०सी०/2363 दिनांक 25.02.2021 की शर्त सं०-3(क) के अनुसार एवं उपजिलाधिकारी पोखरी की संयोजन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में गैंता-भाकोटी-सेरा मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.890 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम गौंखी रा० उ० नि० क्षेत्र मसोली तह० पोखरी की खाता सं० 04 के खसरा नं०-204 रकबा 1.654 है० मध्ये 1.304 है०, खसरा सं० -205 रकबा 1.564 है० भूमि मध्ये 1.232 है० एवं खसरा नं० 208 रकबा 1.564 है० मध्ये 1.244 है० अर्थात कुल 3.780 है० भूमि जो नॉन जेड ए श्रेणी-9(3)ड बंजर भूमि के रूप में दर्ज भूमि अभिलेख है को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं० -2173/XVIII(II)/2012-18(20)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

छायाप्रति सत्यापित

अमल दरामद किया गया 30/11/2021 रा० उ० नि० मसोली

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
पोखरी (चमोली)

उपजिलाधिकारी मसोली
तहसील पोखरी
जनपद-चमोली

office Copy

(3)

परियोजना का नाम :– मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में रौता–मालकोटी–सेरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.696 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

अमीन नि०ख०,लो०नि०वि० पोखरी	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पोखरी	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पोखरी	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पोखरी

वन क्षेत्राधिकारी
नागनाथ पोखरी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
पोखरी (चमोली)

Scanned with CamScanner

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 05-10-2021

Agency Name.	OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER CONSTRUCTION DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT POKHARI
Application No.	6143934348
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/138/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	office of the executive engineer construction division public works department pokhariChamoli
Amount(in Rs)	2516285/-

Amount in Words :Twenty-Five Lakh Sixteen Thousand Two Hundred and Eighty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896143934348 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 05-10-2021

Agency Name.	OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER CONSTRUCTION DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT POKHARI
Application No.	6143934348
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/138/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	office of the executive engineer construction division public works department pokhari Chamoli
Amount(in Rs)	2516285/-

Amount in Words :Twenty-Five Lakh Sixteen Thousand Two Hundred and Eighty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896143934348 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

छाया प्रतिप्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
पोखरी (चमोली)

05/10/2021

SBINR52021100545271395

Scanned with CamScanner

परियोजना का नाम :— मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में रौता–मालकोटी–सेरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.89 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण पत्र

परियोजना स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों / पथ वृक्षारोपण / 100 वृक्षों / काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना वृक्षों / बौनी प्रजातियों के वृक्षों के रोपण का प्राक्कलन संलग्न किया जाना है। (जो भी लागू हो)

अमीन नि०ख०,लो०नि०वि० पोखरी	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पोखरी	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पोखरी	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पोखरी

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
पोखरी(चमोली)

Scanned with CamScanner

(57A)

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में रौता–मालकोटी–सेरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.89 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– सेरा मालकोटी
तहसील– पोखरी
जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में रौता–मालकोटी–सेरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.89 है0 वन पंचायत एवं मक डिस्पोजल हेतु — है0, कुल 1.89 है0 भूमि का **लोक निर्माण विभाग** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में **सेरा मालकोटी** द्वारा दिनांक 11-10-2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **सेरा मालकोटी** के ग्रामवासियों को उक्त 1.89 है0 भूमि का **लोक निर्माण विभाग** को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान

(हस्ताक्षर) प्रधान ग्राम पंचायत सेरा मालकोटी, वि0 ख0 पोखरी, चमोली

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
पोखरी (चमोली)

(8-B)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में रौता–मालकोटी–सेरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.89 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पोखरी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पोखरी

उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत **रौता–मालकोटी–सेरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.89 है० (1.89 है० वन पंचायत भूमि)** का **लोक निर्माण विभाग**, पोखरी (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पोखरी) की दिनांक 29-11-18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री देवानंद शर्मा , उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री देवानंद शर्मा —उपजिलाधिकारी — उप जिलाधिकारी पोखरी —अध्यक्ष
2– श्री ——उप प्रभागीय वनाधिकारी— —सदस्य
3– श्री कु० पिंकी भगतवान —सहायक समाज कल्याण अधिकारी— [signature] — सदस्य/सचिव
4– श्री सरोजनी देवी —बी०डी०सी० क्षेत्र — [signature] — सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **रौता–मालकोटी–सेरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.89 है० वन पंचायत भूमि** का **लो०नि०वि० पोखरी** (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उपप्रभागीय वनाधिकारी, ... द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत **रौता–मालकोटी–सेरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.89 है० वन पंचायत भूमि** का **लो०नि०वि० पोखरी** (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी पोखरी
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पोखरी
जनपद– चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी पोखरी
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पोखरी
जनपद– चमोली

सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड पोखरी
26/11/19
समाज कल्याण अधिकारी

छाया प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
पोखरी (चमोली)

Scanned with CamScanner

(52)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

Dated..05/12/2019

No………

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.89 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D. Pokhari for Construction of New Motor Road in Chamoli district falls within jurisdiction of Sera Malkoti village in Pokhari tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

जिला अधिकारी
चमोली

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

Divisional Forest Officer
Kedarnath Wildlife Division
Gopeshwar

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

छाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
पोखरी (चमोली)

Scanned with CamScanner

(50)

ANNEXURE........

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other traditional forest dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mrs. Swati S. Bhadoriya (I.A.S.) District Magistrate Chamoli on date 05/12/19.. at time 03:30 Pm at Chamoli in which application claiming rights in total area measuring...1.89.... hect. for the construction of Rauta-Malkoti-Sera Motor Road (5.00 Km.) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Pokhari sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar
Dated: 05/12/2019

जिला अधिकारी
चमोली
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee

Divisional Forest Officer
Kedarnath Wildlife Division
Gopeshwar

28/11/19
जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
पोखरी(चमोली)

डिजिटल मानचित्र :–जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी में रोता–मालकोटी–सेरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

(कुल क्षेत्रफल–3.78 है0)

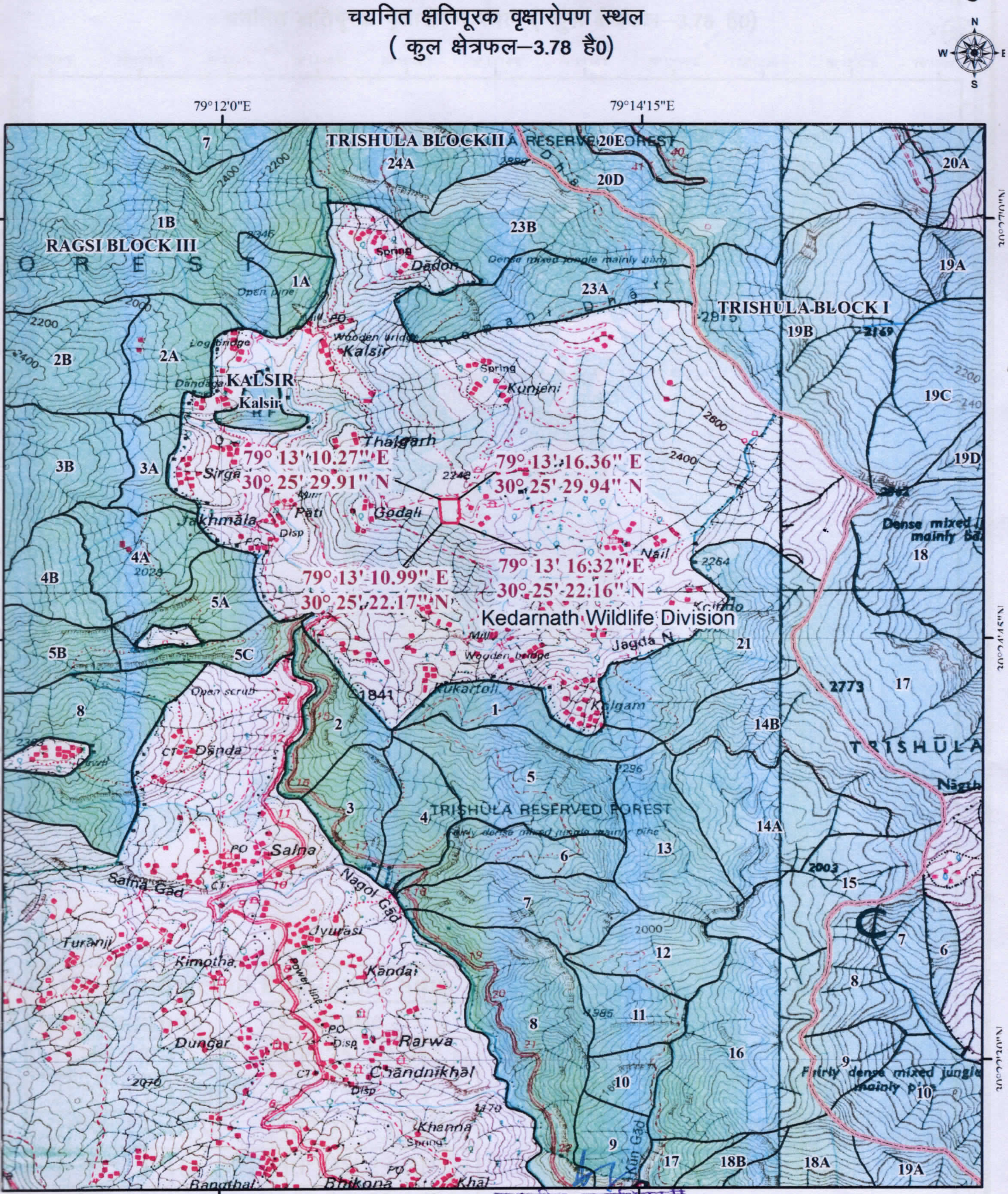

Legend

Range Boundary

Reserve Forest Area

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

तहसीलदार
तहसील पोखरी

उप जिलाधिकारी

जियोरेफेरेन्स मैपः—जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी में रोता—मालकोटी—सेरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (कुल क्षेत्रफल—3.78 है0)

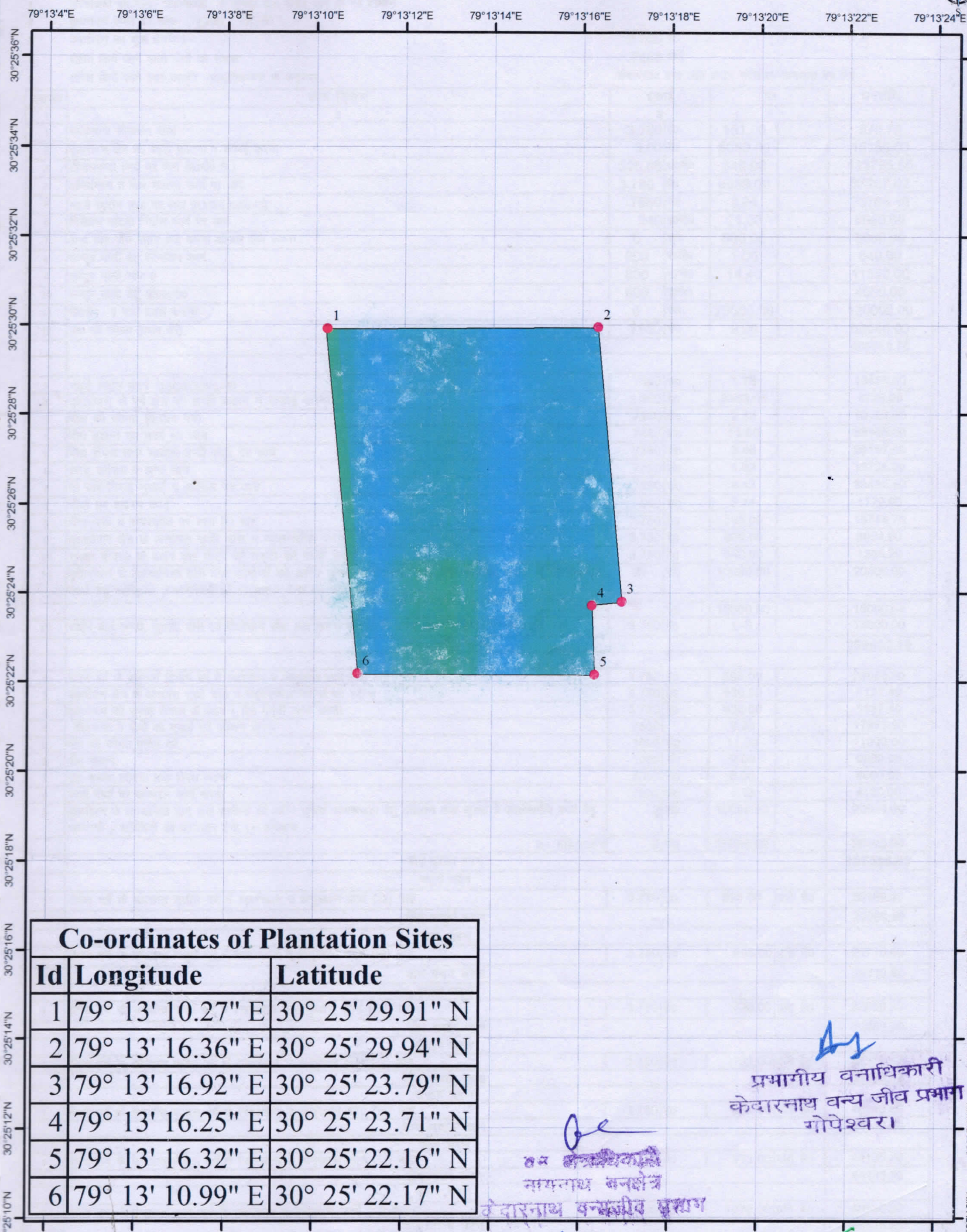

Co-ordinates of Plantation Sites

Id	Longitude	Latitude
1	79° 13' 10.27" E	30° 25' 29.91" N
2	79° 13' 16.36" E	30° 25' 29.94" N
3	79° 13' 16.92" E	30° 25' 23.79" N
4	79° 13' 16.25" E	30° 25' 23.71" N
5	79° 13' 16.32" E	30° 25' 22.16" N
6	79° 13' 10.99" E	30° 25' 22.17" N

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

नागनाथ वनक्षेत्र
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग

Legend